

सं०- ७३ / साप्तशा०/2003

प्रेषक,

आरोती० लोहनी,  
उप सचिव,  
उत्तरांचल शासन ।

लेखा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल शासन ।

सामान्य प्रशासन विभाग

विषय:- राज्य का सहायक पूर्वताधिपत्र {सब्सिडियरी वारेन्ट आफ प्रिसीडेन्स} के संबंध में ।

देहरादून: दिनांक: ३१ जनवरी, २००३

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समस्त जिलाधिकारियों को सम्बोधित तथा इन्हें को पृष्ठांकित उत्तर प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या-५३३३/३-७४। ४-७३ साप्तशा०/अनु०, दिनांक ३० सितम्बर, १९७८ की एक प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य में सहायक पूर्वताधिपत्र {सब्सिडियरी वारेन्ट आफ प्रिसीडेन्स} अभी पृथक से जारी नहीं किया गया है अतः उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी सहायक पूर्वताधिपत्र के अनुसार ही अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

संलग्नक :- यथोक्त ।

मवदीय,

आरोती० लोहनी।  
उप सचिव।

सं०- ७३ । ४/ साप्तशा०/2003, तददिनांक।

प्रतिलिपि आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढवाल मण्डल, पौडी को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेरित ।

आज्ञा ते,

आरोती० लोहनी।  
उप सचिव।

चन्द्र हास सिंह  
संयुक्त गचिच,  
उत्तर प्रदेश शासन,  
रोवा मे,

समस्त विसाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश ।

सखनऊ दिनांक, 30 सितम्बर 1978।

विषय:—राज्य का सहायक पूर्वताधिपत्र (संविसियरी वारेन्ट घास प्रिसीडेंस)

महोदय,

राज्यान्य  
प्रशासन  
प्रनुगाम

नगरोगत विषय पर मुझे इस राज्य का सहायक पूर्वताधिपत्र प्राप्त के सूचनाएँ एवं गार्ड दर्शन हेतु गंतव्य करने का  
निर्देश हुआ है।

2—मुझे यह भी सूचित करना है कि इस पूर्वताधिपत्र का कम केवल राजकीय समारोहों के लिये है और पहले कागज  
सरकार के दिन-प्रति-दिन के कार्य संचालन में ताकू नहीं होता है।

भवदीप,  
चन्द्र हास सिंह,  
संयुक्त सचिव ।

संध्या-5333(1)/तीन-72(1)-73-सा 0प्र 0मनु 0, तद्दिनांक  
प्रतिलिपि निम्नसिद्धित को सूचनार्थ प्रेपित:—

- 1—सचिव, मारस सरकार, गृह गवालय, नई दिल्ली ।
- 2—सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव ।
- 3—संघ शासित शोबों की सरकारों/प्रशासनों को (कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें) ।

संध्या-5333(2)/तीन-72(1)-73-सा 0प्र 0मनु 0, तद्दिनांक  
प्रतिलिपि निम्नसिद्धित को सूचनार्थ एवं पथ प्रदर्शन हेतु प्रेपित:—

- 1—समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
- 2—सचिव, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, सखनऊ ।
- 3—गहानेधानार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- 4—निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।

(कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें) ।

संध्या-5333(3)/तीन-72(1)-73-सा 0प्र 0मनु 0, तद्दिनांक  
प्रतिलिपि निम्नसिद्धित को भी सूचनार्थ एवं पथ प्रदर्शन हेतु प्रेपित:—

- 1—समस्त भवियों के निजी सचिवों एवं गंदी महोदय के सूचनार्थ ।
- 2—समस्त राज्य भवियों के निजी सचिवों को राज्य मंत्री महोदय के सूचनार्थ ।
- 3—सचिवालय के समस्त प्रधिकरणीय ।
- 4—सचिवालय के समस्त विभाग ।

(कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें) ।

भाजा गे,  
चन्द्र हास सिंह,  
संयुक्त सचिव ।

| कोटि क्रम | पदनाम  |
|-----------|--|
| ( 1 )     | ( 2 )  |
| 4.        | राज्यपाल   |
| 8.        | मुख्य मंत्री   |
| 16.       | विद्यान परिषद के समाप्ति<br>विद्यान सभा के प्रध्यक्ष<br>उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति   |
| 16-प्र    | लोक प्रायुक्त  |
| 17        | राज्य के मंत्रीगण  |
| 17-प्र    | नेता विरोधी दल (विद्यान परिषद्/विद्यान सभा)  |
| 19        | पूर्णी जजेज<br>उप समाप्ति, विद्यान परिषद्<br>उपाध्यक्ष, विद्यान सभा<br>राज्य के राज्य मंत्री   |
| 20        | उप मंत्री<br>महापार—प्रपने लेव में   |
| 20-प्र    | प्रध्यक्ष, जिता परिषद् (प्रपने दोब में)<br>प्रध्यक्ष, नगरपालिका (प्रपने लेव में)   |
| 22        | संसद सदस्य   |
| 22-प्र    | विद्यान परिषद् तथा विद्यान सभा के सदस्य  |
| 24        | मुख्य सचिव   |
| 24-प्र    | प्रध्यक्ष, राजस्व परिषद्   |
| 25        | लेपिटनेट जनरल बयडा नगरसभा सेना के समकक्ष प्रधिकारी   |
| 26        | एडवोकेट जनरल<br>लोक सेवा आयोग के प्रध्यक्ष   |
| 28        | सदस्य, राजस्व परिषद्<br>प्रध्यक्ष, लोक सेवा प्रधिकरण<br>विश्वविद्यालय के कुलपति  |
| 29        | ✓राज्य सरकार के प्रायुक्त एवं सचिव,<br>पुनिःसंवारित,<br>गणतानीयता, उनके समकक्ष या उनसे उच्च स्तर के राज्य सकार के विभागाध्यक्ष,<br>भारत सरकार के समकक्ष विभागाध्यक्ष स्तर के प्रधिकारी,<br>उत्तर प्रदेश लोक मैंवा आयोग के नवस्य,<br>नवस्य ध्यायिक राजस्व परिषद्/<br>स्वशासनीय राजकोष निगमों के समकक्ष मुख्य कार्य प्रधिकारी,<br>गहालेखाकार, उत्तर प्रदेश,<br>गंगर जनरल बयडा नगरसभा सेना के समकक्ष प्रधिकारी। |
| 30        | भाजा गरकार के सचिव/चिलेप सचिव<br>प्रतिरक्षत पुनिःसंवारित<br>गान्धी विभागाध्यक्ष (जो झार कमसंघ 15 में सम्मिलित नहीं है)<br>भारत सरकार के समकक्ष विभागाध्यक्ष।   |
| 31        | जिलाधिकारी<br>जिता न्यायाधीश<br>उआ पुनिःसंवारित<br>पुनिःसंवारित<br>पूर्णा चिकित्सा प्रधिकारी।  |

पी ०८८ ०५०८ी ०—ए ०८ी ०—८६ गा० प्रजागन—२६-१०-७८—( २५१ )—९७८-९,००० ( पंग ० ) ।